183

समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्र. / I / 2016 / निगरानी   निग-2188-I/16

श्यामलाल गर्ग पुत्र स्व.श्री नंदलाल गर्ग
निवासी टोडी बाजार श्योपुर जिला
श्योपुर म.प्र.

..........निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. म.प्र.शासन
2. आयुष गर्ग पुत्र कमलकिशोर निवासी ... श्योपुर ......अनिगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा–50 विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्र.कं. 57 / 14–15 / अपील माल में पारित आदेश दिनांक 27.06.16

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पडासल्या की भूमि सर्वे कमांक 96 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि निगरानीकर्ता की पैत्रिक सम्पत्ति है जो पूर्व में आवेदक की मॉ भगवतीबाई पत्नी स्व.नंदलाल गर्ग को पारिवारिक बटवारा दिनांक 30.11.2000 सें प्राप्त होने से खसरे में भगवती के नाम दर्ज चली आ रही थी। भगवतीबाई की मृत्यु दिनांक 16. 07.2003 को हो गई है। आवेदक का एक भाई कमलकिशोर गर्ग ने आवेदक की मॉ भगवतीबाई की उक्त भूमि को हडपने के लिये एक षडयंत्र रचा जिसके तहत भगवतीबाई के नाम एक फर्जी वसीयतनामा टाईप कराकर उस पर आवेदक की मॉ का फोटो लगाते हुए एल.बी.चौहान नोटरी से नोटरी करवाते हुए दिनांक 25.12.02 को प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत अपने नाबालिक पुत्र आयुष गर्ग के हित में करना बता दिया है। विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त–1 मानपुर तहसील श्योपुर में उक्त कथित वसीयत के आधार पर आवेदक के भाई कमल किशोर ने अपने नाबालिक पुत्र आयुष की ओर से प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पेश कर दिया। जहां पर प्र.क. 11 / 03–04 / अ–6 कायम की जाकर आदेश दिनांक 06.12. 03 से भूमिस्वामी भगवतीबाई के वैध वारिसों को कोई सूचनापत्र दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नाधीन भूमि कमलकिशोर के ना.बा.पुत्र आयुष के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दे दिये गये।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2188–एक/16 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वाराप्रकरण कमांक 57/14–15/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 27–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पड़ासल्या स्थित भूमि सर्वे नं. 96 में से रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि की भूमिस्वामी मृतक भगवतनी पत्नी स्व. नंदलाल थी । उनकी मृत्यु के उपरांत वसीयतनामे के आधार पर आवेदक आयुष पुत्र कमलकिशोर का नामांतरण नायब तहसीलदार, वृत्त मानपुर जिला श्योपुर द्वारा आदेश दिनांक 6–12–03 को किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक श्यामलाल गर्ग एवं एक अन्य व्यक्ति अशोक कुमार गर्ग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 31–8–15 को अपील की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील अवधि बाह्य होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 27–6–16 द्वारा निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक श्यामलाल द्वारा इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क एवं लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि कमलकिशोर द्वारा दिनांक 25–12–02 को फर्जी वसीयत तैयार कराई गई है । वसीयतशुदा संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति नहीं है ।	

Misc. 2188-E/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

विचारण न्यायालय द्वारा जारी इश्तहार त्रुटिपूर्ण है । वसीयतनामे पर भगवतीबाई के फर्जी हस्ताक्षर हैं । वसीयतनामे को साक्षी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर आदेशपारित किया गया है । वसीयत के साक्षी हुसेना उर्फ अहमद के हस्ताक्षर वसीयत एवं कथन से मेल नहीं खाते हैं । प्रकरण में आदेश पत्रिका किसी और ने लिखी है तथा कथन किसी और ने तैयार किए हैं । साक्षी कमल किशोर ने जो कथन दिए हैं वे भी संदेह के घेरे में हैं क्योंकि भगवतीबाई उसकी मां है जबकि वह कथनों में दादी कह रहा है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है क्योंकि उसके द्वारा जानबूझकर उन्हें इस न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था जबकि उन्हें जानकारी हुई तब उन्होंने इस न्यायालय में आवेदन दिया जिस पर से न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार बनाया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पक्षकार थे उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण इस प्रकरण में पक्षकारों का दोष है ।

यह भी तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2014 आर.एन. 132 एवं 183 उच्च न्यायालय तथा न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 118 के उद्धरित किए गए हैं ।

यह भी तर्क दिया गया कि भगवतीदेवी की मृत्यु 2003 में हुई है, उसकी मृत्यु के उपरांत आवेदक द्वारा नामांतरण की

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2188–एक/16 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस संबंध में आवेदक द्वारा कुछ नहीं कहा गया है जो यह दर्शाता है कि आवेदक को तहसील न्यायालय के आलोच्य आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 12 वर्ष बाद अपील की गई है, इतनी लंबी अवधि के विलंब का कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण आवेदक ने नहीं दिया है जबकि विलंब के संबंध में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की है । यह भी तर्क दिया गया कि भगवतीबाई के 6 पुत्र हैं । भगवतीबाई की मृत्यु के पश्चात दिनांक 28–7–2003 को आवेदक सहित सभी 6 भाईयों के मध्य बटवारा सहमति पत्र लिखा गया है जिसमें वसीयतकर्ता के पक्ष में की गई वसीयत का उल्लेख किया गया है तथा भगवतीबाई की वसीयत सभी भाईयों ने मान्य की है तथा वसीयतनामा वैध होकर अमल योग्य है जिस पर हमें आपत्ति करने का धिकार नहीं होगा इस दस्तावेज पर आवेदक सहित सभी भाईयों के हस्ताक्षर हैं, अतः आवेदक उसके विपरीत बोलने से स्टोपिड है । आवेदक के मन में बदनीयति होने से उसके द्वारा अपील की गई है । विवादित भूमि के अतिरिक्त नगर पालिका में भी आवेदक का नामांतरण विधिवत हुआ है जिस पर कोई आपत्ति आवेदक द्वारा नहीं की गई है । 5/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता	

निग0-2188-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नही है अतः निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रथम अपील में अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है । प्रथम अपील में पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष किए जाने का प्रावधान संहिता की धारा 44(2) में है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपील आदेश के विरूद्ध अपील प्रतिबंधित है । अतः यह निगरानी इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है ।

7/ जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है । प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 6-12-2003 को वसीयतनामे के आधार पर अनावेदक कमांक-2 आयुष गर्ग के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है और आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश के लगभग 12 वर्ष पश्चात प्रथम अपील मृतक भूमिस्वामी के वारिस होने के आधार पर प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसम्मत है कि 12 वर्ष तक वसीयत की जानकारी आवेदक को न होना अविश्वसनीय है क्योंकि आवेदक की ओर से भूमिस्वामी की मृत्यु के उपरांत अपने पक्ष में नामांतरण के संबंध में ना तो कोई कार्यवाही की गई है और ना ही तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में आपत्ति प्रस्तुत की गई है । इससे अनुविभागीय

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2188–एक/16 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्षों को पूर्ण बल प्राप्त होता है कि आवेदक को वसीयतनामे की जानकारी प्रारंभ से ही रही है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में वसीयतकर्ता/भूमिस्वामी की मृत्यु के उपरांत उभयपक्षों के मध्य हुए बटवारा /सहमति पत्र की प्रति संलग्न है जिसमें आवेदक सहित सभी 6 भाईयों के हस्ताक्षर हैं और उसमें अनावेदक के पक्ष में हुए वसीयतनामे का उल्लेख है इससे भी यह तथ्य प्रमाणित है कि अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा हुआ है और उसकी जानकारी आवेदक सहित सभी भाईयों को प्रारंभ से रही है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–16 स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । (एम0 के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	